संख्या-382/2017/1993/22-2-2016-17(37)/2003

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 01 जून, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टिल्लू पुत्र श्री बैसाखू निवासी जनपद-इलाहाबाद की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38320/पर-2 (एम0-13-10-2016) दिनांक-26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी केन्द्रीय केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टिल्लू पुत्र श्री बैसाखू, निवासी-देवघाट, थाना-धूमनगंज, जनपद-इलाहाबाद का रहने वाला है। गाँव के पास अवैध शराब की दुकान को चलाने को लेकर हुए विवाद के कारण बन्दी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 18.10.1977 को दोपहर लगभग 12:00 बजे पिस्तौल, बल्लम, फरसा आदि से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की एवं 01 को घायल किया। सत्र परीक्षण संख्या-372/1977 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/49, 302/49 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 30.01.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0-271/1980 योजित की गयी। उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03.1996 द्वारा धारा-307/34, 302/34 के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2016 तक 20 वर्ष 05 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 27 वर्ष 03 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति एवं सलाहकार समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन सक्षम स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि बन्दी का सहअभियुक्त अभी कारागार में निरूद्ध है। अत: बन्दी की समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी टिल्लू (बन्दी संख्या-1924/1996) पुत्र श्री बैसाखू निवासी जनपद-इलाहाबाद की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-382/2017/1993(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।